विश्व रेड क्रॉस दिवस • रक्तदाताओं को किया गया सम्मानित, सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है रेड क्रॉस : डीएम

रेड क्रॉस संस्था मानवता और सेवा का प्रतीक : डीएम

सिटी रिपोर्टर | औरंगाबाद

विश्व रेड क्रॉस दिवस सह स्थापना दिवस समारोह का आयोजन शुक्रवार को औरंगाबाद रेड क्रॉस सोसाइटी के सभागार में धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी सह रेड क्रॉस सोसाइटी की प्रेसिडेंट अभिलाषा शर्मा, रेड क्रॉस के चेयरमैन सतीश कुमार सिंह, ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. रवि रंजन, उपाधीक्षक डॉ. आशुतोष कुमार सिंह, डीपीएम अनवर आलम, प्रबंध समिति की सदस्य डॉ. शोभा रानी, डॉ. राजीव कुमार, डॉ. अभिषेक तथा एनटीपीसी के सीएमओ किरण शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने रेड क्रॉस के संस्थापक सर जीन हेनरी ड्यूनेंट के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। समारोह में आए अतिथियों का स्वागत बुके और अंगवस्त्र देकर किया गया। कार्यक्रम के दौरान रेड क्रॉस द्वारा किए जा रहे सामाजिक और मानवीय कार्यों की विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य अतिथि जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि रेड क्रॉस संस्था मानवता और सेवा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना अथवा किसी भी विपदा की घड़ी में रेड क्रॉस हमेशा लोगों के साथ खड़ी रहती है। उन्होंने संस्था के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जब भी रेड क्रॉस को प्रशासन की आवश्यकता होगी, जिला प्रशासन हरसंभव सहयोग करेगा।इस मौके पर प्रभारी सिविल सर्जन डॉ रवि रंजन, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. आशुतोष कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. राजीव कुमार, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. शोभा रानी, प्रबंध समिति के सदस्य मुकेश कुमार गुप्ता और अजीत चंद्र सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

रेड क्रॉस निरंतर सेवा कार्यों में जुटा रहता है : रेड क्रॉस के चेयरमैन सतीश कुमार सिंह ने कहा कि रक्तदान महादान है और एक यूनिट रक्त किसी व्यक्ति का जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने लोगों से नियमित रक्तदान करने की अपील करते हुए कहा कि रक्तदान के माध्यम से हम न केवल किसी मरीज की जान बचाते हैं, बल्कि उसके पूरे परिवार को खुशियां लौटाते हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना काल से लेकर अग्निपीड़ितों एवं अन्य जरूरतमंदों की सहायता तक रेड क्रॉस निरंतर सेवा कार्यों में जुटा रहा है। सीमित संसाधनों के बावजूद संस्था समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने का कार्य कर रही है।कार्यक्रम का संचालन कर रहे रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष मरगूब आलम ने वर्षभर रक्तदान शिविर आयोजित करने वाली संस्थाओं और नियमित रक्तदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के सहयोग से ही जिले में रक्त की कमी को काफी हद तक दूर किया जा सका है।

कुल 3050 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया

जिला कार्यक्रम प्रबंधक मो. अनवर आलम ने बताया कि रेड क्रॉस के संस्थापक एवं प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी डुनेंट की जयंती पर प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि औरंगाबाद ब्लड बैंक में प्रायः सभी ब्लड ग्रुप के रक्त की उपलब्धता बनी रहती है, जिससे न केवल औरंगाबाद बल्कि अरवल, गया, गढ़वा तथा पलामू सहित आसपास के क्षेत्रों के जरूरतमंद मरीज लाभान्वित होते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में ब्लड बैंक द्वारा कुल 3050 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया था, जिसके आधार पर राज्य में तीसरी रैंकिंग प्राप्त हुई। वहीं इस वर्ष अब तक लगभग 350 यूनिट रक्त संग्रहित किए जा चुके हैं। उन्होंने आगे बताया कि ब्लड बैंक द्वारा प्रतिमाह 38 थैलेसीमिया मरीजों को नियमित रूप से रक्त उपलब्ध कराया जाता है।

रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को किया गया सम्मानित

रेड क्रॉस के सचिव दीपक कुमार ने कहा कि विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर वैसे लोगों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया, जिन्होंने वर्ष में तीन या चार बार रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की है। कार्यक्रम में राज्य स्तर पर पुरस्कृत रक्तदाता विवेक मिश्र एवं उनकी पत्नी को 73 बार रक्तदान करने के लिए सम्मानित किया गया। वहीं युवा समाजसेवी सल्लू खान को 41 बार तथा यूएनडीपी से जुड़े वैक्सीन एवं कोल्ड चेन मैनेजर अर्शी खान को 18 बार रक्तदान करने के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा पथ-प्रदर्शक, बीआरबीसीएल, श्री सीमेंट सहित मानव सेवा के लिए समर्पित अन्य कई समाजसेवियों को भी रेड क्रॉस द्वारा सम्मानित किया गया।वहीं रक्तदान करने वालों में सुनील कुमार, सोनू कुमार, योगी चंदन कुमार, प्रशांत कुमार तिवारी, अमित गुप्ता, विवेक सिंह चौहान, रोशन पाठक और उत्कर्ष कुमार सिंह समेत कई युवाओं ने रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन किया गया।

तैयारी • इस माह शेष स्ट्रक्चर पूरा करने का आदेश, डीएम-एसपी ने निर्माण कार्यों का लिया जायजा

उत्तर कोयल परियोजना में 41.60% कार्य पूर्ण

सिटी रिपोर्टर | औरंगाबाद

शुक्रवार को जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक अम्बरीश राहुल ने संयुक्त रूप से मदनपुर प्रखंड अंतर्गत उत्तर कोयल परियोजना के पैकेज-09 में चैनल संख्या-86 का स्थलीय निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता तथा तकनीकी व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया और संबंधित एजेंसियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य परियोजना के अंतर्गत संचालित निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति का आकलन करना तथा निर्माण की गुणवत्ता की समीक्षा करना था।

इस दौरान जिला पदाधिकारी ने विभिन्न स्थलों पर चल रहे खुदाई कार्य, सबग्रेड सामग्री बिछाव, सीएनएस कार्य, नहर लाइनिंग एवं पीसीसी कार्य का निरीक्षण किया।

अधिकारियों ने मौके पर उपस्थित अभियंताओं एवं कार्य एजेंसियों से कार्य की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। निरीक्षण में अधिकांश कार्यों की प्रगति संतोषजनक पाई गई।

अब तक लगभग 3.20 किलोमीटर कार्य पूर्ण किया जा चुका है

उत्तर कोयल नहर परियोजना में जारी निर्माण कार्य

शेष सभी स्ट्रक्चर निर्माण कार्य इस माह के अंत तक हर हाल में पूर्ण करें

जिला पदाधिकारी ने परियोजना के तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलुओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं गति बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने संबंधित कार्य एजेंसी को स्पष्ट निर्देश दिया कि शेष सभी स्ट्रक्चर निर्माण कार्य इस माह के अंत तक हर हाल में पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि नहर में पानी छोड़े जाने के बाद जल का अपव्यय नहीं होना चाहिए तथा किसानों को सिंचाई के लिए सुचारु रूप से पानी उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए।निरीक्षण के दौरान सीएनएस कार्य निर्माण में झारखंड राज्य की ओर से उत्पन्न हो रही कुछ समस्याओं को लेकर भी चर्चा की गई। जिला पदाधिकारी ने संबंधित एजेंसी से इस संबंध में विस्तृत जानकारी ली। एजेंसी द्वारा बताया गया कि समस्या के स्थायी समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई कर ली गई है तथा जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी।

12 संरचनाओं में से तीन संरचनाओं का निर्माण पूरा, अतिरिक्त मजदूरों एवं मशीनों की व्यवस्था का निर्देश

जानकारी के अनुसार पैकेज-09 के तहत 82.32 किलोमीटर से 90.02 किलोमीटर तक कुल 7.70 किलोमीटर क्षेत्र में निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसमें अब तक लगभग 3.20 किलोमीटर कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वहीं, कुल 12 संरचनाओं में से तीन संरचनाओं का निर्माण पूरा कर लिया गया है। वर्तमान में खुदाई, सीएनएस, नहर लाइनिंग तथा अन्य संरचनात्मक कार्य तेजी से चल रहे हैं। परियोजना की कुल भौतिक प्रगति 41.60 प्रतिशत दर्ज की गई है।निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया कि कुछ स्थानों पर जलभराव एवं जल रिसाव की समस्या के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। जिला पदाधिकारी ने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि इन समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। इसके अतिरिक्त बेंच कटिंग का कार्य भी प्रगति पर पाया गया। इसके साथ ही जिला पदाधिकारी ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त मजदूरों एवं मशीनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि परियोजना के कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निरीक्षण के दौरान अपर समाहर्ता श्री अनुग्रह नारायण सिंह, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी श्री उपेंद्र पंडित, वरीय उपसमाहर्ता श्री रितेश कुमार थे।

आमस-दरभंगा ग्रीन रोड से बदलेगी बिहार की तस्वीर

विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने किया निरीक्षण

निरीक्षण करते बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार

सिटी रिपोर्टर | औरंगाबाद

बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार ने शुक्रवार को आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे ग्रीन रोड एवं उत्तर कोयल नहर परियोजना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इन दोनों महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के पूरा होने से बिहार के विकास को नई गति मिलेगी तथा किसानों और आम लोगों को सीधा लाभ पहुंचेगा।निरीक्षण के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे ग्रीन रोड बनने से लाखों लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के बाद पटना तक की यात्रा काफी कम समय में पूरी हो सकेगी। उन्होंने बताया कि करीब एक हजार करोड़ रुपये की लागत से इस सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं उत्तर कोयल नहर परियोजना के संबंध में उन्होंने कहा कि दिसंबर तक निर्माण कार्य पूर्ण होने की उम्मीद है, जिससे लाखों किसानों के खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचेगा और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उत्तर कोयल नहर परियोजना के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध कराया गया है और आगे भी आवश्यक राशि दी जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने परियोजना अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नहर निर्माण कार्य में तेजी लाकर इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि हम फिर से निरीक्षण करने आएंगे और कार्य की प्रगति देखेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार का सर्वांगीण विकास हो रहा है तथा युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

राम मंदिर आंदोलन राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक : इसके बाद मदनपुर के सरस्वती मोहल्ला स्थित सूर्य मंदिर प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद परिवार एवं अन्य संगठनों की ओर से विधानसभा अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम का संचालन विश्व हिंदू परिषद के आजीवन हितचिंतक एवं डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच के केंद्रीय संरक्षक जितेंद्र सिंह परमार ने किया।

पांडव कुमार हत्याकांड के विरोध में जन सुराज का कैंडल मार्च

औरंगाबाद | खगड़िया जिले के रहने वाले युवक पांडव कुमार की दिल्ली में हुई निर्मम हत्या के विरोध में शुक्रवार को जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष मनोज शर्मा के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला। यह मार्च कलेक्ट्रेट गेट से शुरू होकर रमेश चौक तक गया, जहां कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग उठाई।कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर हत्या के विरोध में नारेबाजी की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।जिला अध्यक्ष मनोज शर्मा ने कहा कि इस मार्च का उद्देश्य पांडव कुमार को न्याय दिलाने की मांग को मजबूत करना तथा समाज में शांति और एकजुटता का संदेश देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी बिहारी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।वहीं जिला महामंत्री भगवान ने कहा कि जब तक जन सुराज पार्टी है, तब तक बिहारियों के सम्मान और अधिकार की लड़ाई जारी रहेगी।

कैंडल मार्च में शामिल जनसुराज के कार्यकर्ता

शराब की खेप के साथ तस्कर गिरफ्तार

अंबा | अंबा थाना क्षेत्र में पुलिस ने शादी का स्टीकर लगे एक स्कॉर्पियो वाहन से भारी मात्रा में शराब बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई गुरुवार देर रात उदयगंज गांव के समीप गुप्त सूचना के आधार पर की गई।

थानाध्यक्ष राहुल राज ने बताया कि सूचना मिली थी कि झारखंड से शराब की खेप लेकर एक स्कॉर्पियो वैकल्पिक रास्तों से क्षेत्र में प्रवेश करने वाली है। इसके बाद पुलिस ने ढूंढा-उदयगंज मार्ग पर वाहन जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान शादी का स्टीकर लगा काले रंग का स्कॉर्पियो आते दिखा। पुलिस के रुकने का इशारा करने पर चालक वाहन लेकर भागने लगा। उदयगंज गांव के पास पहले से तैनात पुलिस बल को देख चालक ने वाहन मोड़कर भागने की कोशिश की, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और लोगों ने वाहन पर पथराव कर दिया।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! | punjab national bank ...the name you can BANK upon !

सर्कल ऑफिस, ओल्ड जीटी रोड, औरंगाबाद, बिहार – 824101

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय सम्पतियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पतियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतदद्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी / चार्ज की गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा उसके द्वारा ले लिया गया है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता को अपने बकाया की वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि पर 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ भी है' पर बेचा जाएगा। संबंधित उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (गारंटरों) से सुरक्षित लेनदार, आरक्षित मूल्य और बयाना राशि जमा नीचे दी गई तालिका में सम्बंधित सम्पतियों के अनुसार होगी।

परिशिष्ट- IV-A [नियम 9(1) का प्रावधान देखें] (सुरक्षित परिसंपत्तियों की अनुसूची)

लॉट न.	शाखा का नाम खाते का नाम उधारकर्ता/गारंटर के खाते का नाम एवं पता	गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/मालिक का नाम (संपत्ति को गिरवी रखने वाले)	(क) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना की तिथि (ख) मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि (ग) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्ज़ा की तिथि (घ) कब्जे की प्रकृति	क) आरक्षित मूल्य (लाख रुपये में) ख) ईएमडी ग) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात ऋणभारों का विवरण
1	शाखाः ओल्ड जीटी रोड (608300) खाता संख्या- 608300NC00000341 श्री सुनील कुमार ठाकुर पिता श्री राज किशोर ठाकुर श्रीमती उमिता कुमारी पति श्री सुनील कुमार ठाकुर निवासी :152, रमडीहा नियर टाउन इंटर कॉलेज, औरंगाबाद, बिहार 824101	भूमि एवं भवन स्थितः मौजा- रामडीहा, थाना- औरंगाबाद, थाना संख्या- 567, जिला-औरंगाबाद, खाता संख्या- 35/14, प्लॉट संख्या- 4302/30, क्षेत्रफल- 03 डिसमिल जिसका विक्रय पत्र संख्या 754 दिनांक 28.02.1995 श्री सुनील कुमार ठाकुर पिता राज किशोर ठाकुर के नाम पर है। चौहद्दी- उत्तर- निज बिक्रेता, दक्षिण- ब्रह्मदेव, पूर्व- निज बिक्रेता, पश्चिम- देवकी यादव, सेवकी यादव	क) 25.03.2025 ख) रु.8,80,556.75 + अतिरिक्त ब्याज ग) 21.07.2025 घ) प्रतीकात्मक	क) रु. 27,72,810/- ख) रु. 2,77,281/- ग) रु. 25,000/-	दिनांक 26.05.2026 को दोपहर 12:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें : बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:
1. संपत्तियों को 'जैसा है जहां है के आधार पर' और 'जैसा है जो है के आधार पर' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जा रहा है। 2. यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 26.05.2026 को दोपहर 12.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक की जाएगी। 4. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com और www.pnbindia.in देखें। 5. प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने, यदि स्वीकार्य न हो, या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है एवं इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9 (1) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना | विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा | प्राधिकृत अधिकारी

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! | punjab national bank ...the name you can BANK upon !

सम्पति वसूली प्रबंधन शाखा, ओल्ड जीटी रोड, औरंगाबाद, बिहार-824101

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय सम्पतियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पतियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतदद्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी / चार्ज की गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा उसके द्वारा ले लिया गया है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता को अपने बकाया की वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि पर 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ भी है' पर बेचा जाएगा। संबंधित उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (गारंटरों) से सुरक्षित लेनदार, आरक्षित मूल्य और बयाना राशि जमा नीचे दी गई तालिका में सम्बंधित सम्पतियों के अनुसार होगी।

परिशिष्ट- IV-A [नियम 9(1) का प्रावधान देखें] (सुरक्षित परिसंपत्तियों की अनुसूची)

लॉट न.	शाखा का नाम खाते का नाम उधारकर्ता/गारंटर के खाते का नाम एवं पता	गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/मालिक का नाम (संपत्ति को गिरवी रखने वाले)	(क) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना की तिथि (ख) मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि (ग) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्ज़ा की तिथि (घ) कब्जे की प्रकृति	क) आरक्षित मूल्य (लाख रुपये में) ख) ईएमडी ग) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात ऋणभारों का विवरण
1	पीएनबी- नोखा (648400) 64840087000000896 एवं 648400II0000007 मेसर्स किरण मिनी राइस मिल, प्रोप- श्रीमती किरण देवी पति श्री सुनील कुमार, निवासी- ग्राम-रघुनाथपुर, वार्ड संख्या- 8, पोस्ट- भलुआही, थाना- नोखा, जिला- रोहतास, पिन- 802215, निवासी- करमा, थाना- काराकाट (गोरारी), जिला- रोहतास, बिहार- 802212 श्री सुनील कुमार पिता श्री ताराचंद सिंह, निवासी- ग्राम-रघुनाथपुर, वार्ड संख्या- 8, पोस्ट- भलुआही, थाना- नोखा, जिला- रोहतास, पिन- 802215	भूमि एवं भवन स्थितः मौजा-रघुनाथपुर, हल्का संख्या- 3, रेव. थाना-नोखा, जिला-रोहतास, विभाजन विलेख संख्या- 13408 दिनांक 18.12.2007 के अनुसार (अनुसूची ख) श्री सुनील कुमार पिता श्री ताराचंद सिंह के नाम पर (1) खाता संख्या- 30, प्लॉट संख्या- 18, क्षेत्रफल- 77 डेसीमल चौहद्दी- उत्तर-राज कुमार, दक्षिण-रामेश्वर पाठक एवं अन्य, पूर्व-संजय सिंह एवं अन्य, पश्चिम- रोड (2) प्लॉट संख्या- 235, क्षेत्रफल- 1 एकड़ 48 1/2 डेसीमल चौहद्दी- उत्तर- करहा, दक्षिण-रामेश्वर पाठक, पूर्व- ज्ञानचंद चौधरी, पश्चिम- लल्लन पाठक एवं अन्य	(क) 13.07.2022 (ख) रु. 68,60,564/- + भविष्य का ब्याज (ग) 20.09.2022 (घ) सांकेतिक	(क) रु.1,99,28,250/- (ख) रु.19,92,825/- (ग) रु. 25,000/-	दिनांक 26.05.2026 को दोपहर 12:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें : बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:
1. संपत्तियों को 'जैसा है जहां है के आधार पर' और 'जैसा है जो है के आधार पर' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जा रहा है। 2. यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 26.05.2026 को दोपहर 12.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक की जाएगी। 4. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com और www.pnbindia.in देखें। 5. प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने, यदि स्वीकार्य न हो, या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है एवं इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9 (1) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना | विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा | प्राधिकृत अधिकारी

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! | punjab national bank ...the name you can BANK upon !

सर्कल ऑफिस, ओल्ड जीटी रोड, औरंगाबाद, बिहार – 824101

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय सम्पतियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पतियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतदद्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी / चार्ज की गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा उसके द्वारा ले लिया गया है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता को अपने बकाया की वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि पर 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ भी है' पर बेचा जाएगा। संबंधित उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (गारंटरों) से सुरक्षित लेनदार, आरक्षित मूल्य और बयाना राशि जमा नीचे दी गई तालिका में सम्बंधित सम्पतियों के अनुसार होगी।

परिशिष्ट- IV-A [नियम 9(1) का प्रावधान देखें] (सुरक्षित परिसंपत्तियों की अनुसूची)

लॉट न.	शाखा का नाम खाते का नाम उधारकर्ता/गारंटर के खाते का नाम एवं पता	गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/मालिक का नाम (संपत्ति को गिरवी रखने वाले)	(क) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना की तिथि (ख) मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि (ग) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्ज़ा की तिथि (घ) कब्जे की प्रकृति	क) आरक्षित मूल्य (लाख रुपये में) ख) ईएमडी ग) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात ऋणभारों का विवरण
1	शाखाःकरगहर (235300) खाता संख्या 2353008700001777 एवं 235300SG00000164 मेसर्स दीपक मिनी राइस मिल, प्रोप-श्रीमती कलावती देवी पति श्री हरेंद्र सिंह श्रीमती कलावती देवी पति श्री हरेन्द्र सिंह श्री राम निवास सिंह पिता स्वर्गीय राम जनम सिंह श्री दीनानाथ सिंह पिता स्वर्गीय राम जनम सिंह गेना कुंवर पति स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह श्री हरेन्द्र सिंह पिता स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह श्री नरेंद्र सिंह पिता स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह श्री देवेन्द्र पिता स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह सभी निवासी-नीमडिहारा, पोस्ट+थाना-करगहर, जिला-रोहतास, बिहार-821107	अचल संपत्ति स्थित हैः मौजा-नीमडीहरा, थाना संख्या-82, रेव थाना करगहर, जिला-रोहतास, खाता संख्या-49, प्लॉट संख्या-1080, क्षेत्रफल-11 डिसमिल, पंजीकृत बंधक विलेख संख्या 2182 दिनांक 15.02.2016 1.श्री राम निवास सिंह पिता स्वर्गीय राम जनम सिंह 2. श्री दीनानाथ सिंह पिता स्वर्गीय राम जनम सिंह 3. मो. गेना कुंवर पति स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह 4. श्री हरेन्द्र सिंह पिता स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह 5.श्री नरेंद्र सिंह पिता स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह 6.श्री देवेन्द्र सिंह पिता स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह चौहद्दीः उत्तर- छविनाथ सिंह, दक्षिण- दया शंकर सिंह, पूर्व- बलिराम सिंह, पश्चिम- सड़क	क) 25.05.2023 ख) रु.25,40,230.57 + अतिरिक्त ब्याज ग) 02.08.2023 घ) सांकेतिक	क) रु. 34,29,750.00/- ख) रु. 342975/- ग) रु. 25,000/-	दिनांक 26.05.2026 को दोपहर 12:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें : बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:
1. संपत्तियों को 'जैसा है जहां है के आधार पर' और 'जैसा है जो है के आधार पर' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जा रहा है। 2. यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 26.05.2026 को दोपहर 12.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक की जाएगी। 4. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com और www.pnbindia.in देखें। 5. प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने, यदि स्वीकार्य न हो, या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है एवं इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9 (1) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना | विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा | प्राधिकृत अधिकारी

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! | punjab national bank ...the name you can BANK upon !

सम्पति वसूली प्रबंधन शाखा, ओल्ड जीटी रोड, औरंगाबाद, बिहार-824101

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय सम्पतियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पतियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतदद्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी / चार्ज की गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा उसके द्वारा ले लिया गया है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता को अपने बकाया की वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि पर 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ भी है' पर बेचा जाएगा। संबंधित उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (गारंटरों) से सुरक्षित लेनदार, आरक्षित मूल्य और बयाना राशि जमा नीचे दी गई तालिका में सम्बंधित सम्पतियों के अनुसार होगी।

परिशिष्ट- IV-A [नियम 9(1) का प्रावधान देखें] (सुरक्षित परिसंपत्तियों की अनुसूची)

लॉट न.	शाखा का नाम खाते का नाम उधारकर्ता/गारंटर के खाते का नाम एवं पता	गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/मालिक का नाम (संपत्ति को गिरवी रखने वाले)	(क) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना की तिथि (ख) मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि (ग) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्ज़ा की तिथि (घ) कब्जे की प्रकृति	क) आरक्षित मूल्य (लाख रुपये में) ख) ईएमडी ग) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात ऋणभारों का विवरण
1	पीएनबी- देवकुंड (169900) श्री प्रकाश सिंह पिता श्री उदय सिंह निवासी-वार्ड संख्या-2, ग्राम-मिर्जापुर, पोस्ट + थाना- रिसियप, औरंगाबाद बिहार, पिन- 824123 श्री बिपिन बिहारी सिंह पिता श्री अखिलेश्वर सिंह निवासी-श्रीकृष्ण नगर, चित्रगुप्त नगर, क्लब रोड, औरंगाबाद बिहार-824101	अचल संपत्ति स्थित, मौजा- मिर्जापुर,थाना संख्या- 415, खाता संख्या- 3, प्लॉट संख्या- 705, क्षेत्रफल- 68 डेसिमल, विक्रय विलेख संख्या- 11481, दिनांक 17.08.2015, प्रकाश सिंह पिता उदय सिंह के नाम पर है। चौहद्दी- उत्तर-पिंड, दक्षिण-अनिल कुमार सिंह, पूर्व-निज बिक्रेता, पश्चिम-मोती लाल राम एवं सुख लाल राम	(क) 11.07.2023 (ख) रु 81,30,422.50/- + भविष्य का ब्याज (ग) 15.09.2023 (घ) सांकेतिक	(क) रु 88,53,600/- (ख) रु 8,85,360/- (ग) रु 25,000/-	दिनांक 26.05.2026 को दोपहर 12:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें : बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:
1. संपत्तियों को 'जैसा है जहां है के आधार पर' और 'जैसा है जो है के आधार पर' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जा रहा है। 2. यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 26.05.2026 को दोपहर 12.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक की जाएगी। 4. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com और www.pnbindia.in देखें। 5. प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने, यदि स्वीकार्य न हो, या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है एवं इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 9 (1) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना | विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा | प्राधिकृत अधिकारी